दिनांक 06.09.2024
प्रेस विज्ञप्ति 07/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बुलन्दशहर/थाना अहमदगढ़

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 06.09.2024 को थाना अहमदगढ़, थाना शिकारपुर, थाना पहासू व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम पापड़ी व ग्राम ढकनगला के मध्य नहर पटरी के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–साजिद 2–सुरेन्द्र घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त साजिद के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 03 अभियोग एवं अभियुक्त सुरेन्द्र के विरूद्ध जनपद मेरठ, बुलन्दशहर व कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना अहमदगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–साजिद निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना जवां जनपद अलीगढ़।

2–सुरेन्द्र निवासी नंदग्राम उतरांचल कॉलोनी थाना नंदग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद सहारनपुर/थाना नागल

- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, सिक्के आदि**
- **चोरी के 05 हजार 600 रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 कार बरामद**

दिनांक 05.09.2024 को थाना नागल व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर इसाकपुर तिराहा के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–गुड्डू 2–पाताल उर्फ पातालिया घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3–छोटू 4–गंगू 5–गणपत उर्फ गणेश सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, सिक्के आदि, चोरी के 05 हजार 600 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 कार बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त गुड्डू व छोटू के विरूद्ध जनपद सहारनपुर व मध्यप्रदेश प्रान्त के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05–05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नागल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–गुड्डू निवासी ग्राम भगौली थाना टाण्डा जनपद धार मध्यप्रदेश।

2–पाताल उर्फ पातालिया निवासी ग्राम बुडारिया थाना टाण्डा जनपद धार मध्यप्रदेश।

3–छोटू निवासी ग्राम नरवाली थाना टाण्डा जनपद धार मध्यप्रदेश।

4–गंगू निवासी ग्राम गूडा थाना टाण्डा जनपद धार मध्यप्रदेश।

5–गणपत उर्फ गणेश निवासी ग्राम रणजीतगढ़ थाना टाण्डा जनपद धार मध्यप्रदेश।

बरामदगी

1—चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, सिक्के आदि।

2—चोरी के 05 हजार 600 रूपये नगद।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4—01 कार।

जनपद बाराबंकी/थाना देवा

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख 12 हजार रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 06.09.2024 को थाना देवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर काशीराम कॉलोनी मोड़ के पास से 02 अभियुक्तों 1—महताब 2—अनस को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख 12 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 03/04.09.2024 को थाना देवा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना देवा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना देवा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—महताब निवासी जमाल कमाल तकिया कस्बा व थाना देवा जनपद बाराबंकी।

2—अनस निवासी जमाल कमाल तकिया कस्बा व थाना देवा जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1—चोरी के 01 लाख 12 हजार रूपये नगद।

2—01 मोबाइल फोन।

कमिश्नरेट आगरा/थाना हरीपर्वत

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 15 हजार 300 रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 05.09.2024 को थाना हरीपर्वत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टीपी नगर एसबीआई एटीएम के पास से 02 अभियुक्तों 1—सौरभ 2—मोहित कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 15 हजार 300 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त एटीएम मशीन के निकासी के रास्ते पर काली प्लेट लगाकर धोखाधड़ी कर पैसे निकाल लेते है।

इस सम्बन्ध में थाना हरीपर्वत पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सौरभ निवासी द्वारका मोड विपिन गार्डन एक्सटेन्शन थाना मोहन गार्डन दिल्ली, मूलपता नवतोल झंझारपुर थाना मधुबनी जनपद मधुबनी बिहार।

2—मोहित कुमार निवासी बेगी रोड थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1—चोरी के 15 हजार 300 रूपये नगद।

2—02 मोबाइल फोन आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर—113

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिल**
- **चोरी के 26 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 06.09.2024 को थाना सेक्टर—113 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एफएनजी सर्विस रोड सोरखा के पास से 04 अभियुक्तों 1—अभिषेक उर्फ कालू 2—मसरे

आलम 3–ललित उर्फ लुक्का 4–विमलेश उर्फ मनोज को गिरफ्तार किया गया। एक बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल, चोरी के 26 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–113 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अभिषेक उर्फ कालू निवासी सोरखा सेक्टर–115 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2–मसरे आलम निवासी सागरदीना थाना चिरइया जनपद मोतीहारी बिहार, हालपता सेक्टर–118 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

3–ललित उर्फ लुक्का निवासी ग्राम सर्फाबाद सेक्टर 73 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

4–विमलेश उर्फ मनोज निवासी नेवादा गव्वी थाना माधोबन जनपद हरदोई, हालपता सोरखा सेक्टर–115 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–चोरी की 06 मोटर साइकिल।

2–चोरी के 26 मोबाइल फोन आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना कोतवाली नगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 05.09.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ढमोला पुल के पास से 02 अभियुक्तों 1–मुकुल 2–तरूण को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुकुल निवासी गढी मूलक नं0–1 थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

2—तरूण निवासी गोपाल नगर थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1—चोरी की 05 मोटर साइकिल।

जनपद बाराबंकी/थाना सतरिख

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 10 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 92 ग्राम अवैध मारफीन**
- **01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 स्विफ्ट डिजायर कार बरामद**

दिनांक 06.09.2024 को थाना सतरिख पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बड़ापुरा नहर पुलिया के पास से 03 अभियुक्तों 1—आकाश 2—इशान 3—आशुतोष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 92 ग्राम अवैध मारफीन, 01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 स्विफ्ट डिजायर कार बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सतरिख पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आकाश निवासी ग्राम सुकरौली कुँवर टिकरिया थाना परसुरामपुर जनपद बस्ती।

2—इशान निवासी चारबाग थाना नाका कमिश्नरेट लखनऊ।

3—आशुतोष निवासी ग्राम नौवापुर थाना पडुवा जनपद लखीमपुर खीरी।

बरामदगी

1—लगभग 10 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 92 ग्राम अवैध मारफीन।

2—01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—01 स्विफ्ट डिजायर कार।

- **<u>जनपद बलिया/थाना रसड़ा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना रसड़ा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रवि को 12 वर्ष के सश्रम कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अमरोहा/थाना बछरायूं (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना बछरायूं पर पंजीकृत अभियोग में धारा 452/307 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त आरिफ को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————